

अध्याय-6

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में
भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

6.1 प्रस्तावना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आई.एफ.आर.एस.) का हवाला देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया। भारतीय लेखांकन मानक को आई.एफ.आर.एस. के अनुरूप तैयार किया गया था जो सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत (आई.जी.ए.पी.) ढांचे से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप से अधिक सार और बैलेंस शीट पर जोर, से अलग थे। ये भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य रूप से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से अपनाए जाने थे। 31 मार्च 2020 तक 39 भारतीय मानक लागू हैं। एम.सी.ए. समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से आई.एफ.आर.एस. के साथ अभिसरण रखने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करता है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का चरण I और II में अध्ययन करना था ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के समय भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा।

6.2 भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू चरणबद्ध ढंग से भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

चरण-I

निम्नलिखित कंपनियां 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधियों की वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगी, जिसमें 31 मार्च 2016 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों की तुलना की जाएगी:

- ऐसी कंपनियां जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक है।

- ऊपर शामिल कंपनियों के अतिरिक्त ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियां।
- ऊपर शामिल कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

चरण-II

निम्नलिखित कंपनियां 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधियों की वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करेगी, जिसमें 31 मार्च 2017 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों की तुलना की जाएगी:

- ऐसी कंपनियां जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक है।
- चरण-I में शामिल कंपनियों के अतिरिक्त सूचीबद्ध कंपनियां जिनका निवल मूल्य ₹ 250 करोड़ या अधिक किंतु ₹ 500 करोड़ से कम है।
- ऊपर शामिल कंपनियों की होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

भारतीय लेखांकन मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाना

कोई भी कंपनी 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2015 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों के साथ तुलनात्मक रूप से अपनी वित्तीय विवरणियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपना सकती है। हालांकि, एक बार जब कोई कंपनी स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार रिपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो वह आई.जी.ए.पी. में वापस नहीं आ सकती है।

6.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

अध्ययन में सात एस.पी.एस.ई.¹ को शामिल किया गया था जिनके द्वारा चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना अपेक्षित था और एक एस.पी.एस.ई. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.) ने 2016-17 के दौरान स्वैच्छिक रूप से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया था। भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के लिए सात एस.पी.एस.ई. की योग्यता में एक योग्य कंपनी (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) की चार सहायक कंपनियां शामिल हैं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. की चार सहायक कंपनियों में से दो कंपनियों, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (27 दिसंबर 2016 को निगमित) और सौर ऊर्जा

¹ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड और हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड।

निगम हरियाणा लिमिटेड (9 जून 2016 को निगमित) को अपनी पहली वित्तीय विवरणियों (अर्थात् 2016-17) में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना अपेक्षित था जबकि दो अन्य सहायक कंपनियां अर्थात् हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड निष्क्रिय कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानक वर्ष 2019-20 से हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम पर लागू था, लेकिन इसे विश्लेषण के लिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वर्ष 2019-20 के लिए इसके वित्तीय विवरण बकाया थे। सात एस.पी.एस.ई. की समीक्षा की गई जिनकी सूची **परिशिष्ट VI** में दी गई है।

चरण I और II के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाले एस.पी.एस.ई. की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ नव निगमित एस.पी.एस.ई. जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2017 से अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया है, की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई है। इन एस.पी.एस.ई. में भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन और भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का उनके राजस्व, कर पश्चात लाभ, निवल मूल्य और कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव का विश्लेषण राजस्व मान्यता, वित्तीय दस्तावेजों तथा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.) के मूल्यांकन, कर्मचारी लाभों की गणना और व्यावसायिक संयोजनों के लेखांकन में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया था।

6.4 भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने की समीक्षा

भारतीय लेखांकन मानक 101 - पहली बार भारतीय लेखांकन मानक 101 को अपनाने के लिए अपेक्षित था कि एक इकाई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत (आई.जी.ए.पी.) से भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तन ने उसकी बैलेंस शीट, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। इस अपेक्षा के अनुसार सभी कंपनियों (यू.एच.बी.वी.एन.एल. को छोड़कर) ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वित्तीय विवरणियों में टिप्पणियों के माध्यम से बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि की विवरणी पर भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के प्रभाव को प्रकट किया है। 31 मार्च 2016 और 01 अप्रैल 2015 को आई.जी.ए.पी. के अनुसार इक्विटी का मिलान उसी तारीख को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार इक्विटी के साथ किया गया है। कार्यान्वयन के प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई वित्तीय विवरणी के विशेष तत्व के मूल्य में उसी तारीख को आई.जी.ए.पी. के अनुसार उसी तत्व के संबंधित मूल्य की तुलना में या तो वृद्धि या कमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक 101 भारतीय लेखांकन मानकों के पूर्वव्यापी उपयोग के सामान्य सिद्धांत के लिए वैकल्पिक छूट और अनिवार्य छूट प्रदान करता है। वैकल्पिक छूट में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखांकन मानक पहली बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने वाले को भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि के अनुसार या पुनर्मूल्यांकन पद्धति को अपनाकर उनके उचित मूल्य को मापकर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त के रूप में अपनी संपत्ति, संयंत्रों एवं उपकरणों (पी.पी.ई.) और अमूर्त परिसंपत्तियों की इनके वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुनाव करने की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि छ: एस.पी.एस.ई. {हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.), सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा मिनेरल्स लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड} ने अपनी वहन लागत पर पी.पी.ई. का मूल्य अपनाने का विकल्प चुना।

(ii) भारतीय लेखांकन मानक 27 - अलग वित्तीय विवरणियां

भारतीय लेखांकन मानक-101 के अनुच्छेद डी14 और डी15 के अनुसार, अलग-अलग वित्तीय विवरणियों के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 27 द्वारा एक इकाई को सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहभागिताओं में अपने निवेश के लिए या तो लागत पर या भारतीय लेखांकन मानक 39 के अनुसार उचित मूल्य पर जिम्मेदारी लेनी अपेक्षित है। यदि पहली बार अपनाने वाला इस तरह के निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुरूप लागत पर मापता है तो यह उस निवेश को या तो लागत पर या मानी गई लागत पर अपनी अलग आरंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट में मापेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने सहायक कंपनियों/सहभागिताओं में निवेश को वहन मूल्य/लागत मूल्य पर मापने का विकल्प चुना।

(iii) भारतीय लेखांकन मानक 109 - वित्तीय दस्तावेज

भारतीय लेखांकन मानक-101 एक इकाई को भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भारतीय लेखांकन मानक-109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज में वित्तीय परिसंपत्ति और निवेश को नामित करने की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.वी.पी.एन.एल., हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड ने इक्विटी को वहन मूल्य/लागत मूल्य पर मूल्यांकित किया और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने इक्विटी का मूल्यांकन अन्य व्यापक आय (एफ.वी.ओ.सी.आई.) के माध्यम से उचित मूल्य पर किया।

6.5 2016-17 और 2017-18 में निगमित कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना

दो एस.पी.एस.ई. अर्थात् पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (27 दिसंबर 2016 को निगमित) और सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड (09 जून 2016 को निगमित) को अपनी पहली वित्तीय विवरणी (अर्थात् 2016-17) में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना अपेक्षित था। हालांकि, सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड ने 2017-18 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया। इन एस.पी.एस.ई. के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक का कोई प्रभाव नहीं था।

6.6 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.), राजस्व, कुल परिसंपत्ति और निवल मूल्य के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय एस.पी.एस.ई. द्वारा प्राप्त विकल्पों के आधार पर मूल्य बढ़ या घट सकते हैं। तीन एस.पी.एस.ई. (एच.वी.पी.एन.एल., एच.पी.जी.सी.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी.) के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन और इसके कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा की गई। इन तीन एस.पी.एस.ई. के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के परिणाम और इसके कार्यान्वयन के प्रभाव नीचे दिए गए हैं:

6.6.1 कर-पश्चात लाभ पर प्रभाव

चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए कर-पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.1: कर-पश्चात लाभ पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पी.ए.टी. में निवल कमी (₹ करोड़ में)	पी.ए.टी. में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	6.82	-
2	एच.पी.जी.सी.एल.	177.42	-
3	एच.वी.पी.एन.एल.	-	94.42

निम्नलिखित कारकों ने एस.पी.एस.ई.-वार पी.ए.टी. में वृद्धि/कमी में योगदान दिया:

(i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) - रोजगार के बाद के लाभों के प्रति देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन से लाभ में ₹ 69.81 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट बैलेंस (₹ 199.62 करोड़) की मान्यता की नीति, पूर्व अवधि समायोजन (₹ 18.82 करोड़) के लेखांकन में परिवर्तन, व्यय के प्रावधानों में वृद्धि (₹ 10.26 करोड़) और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय आस्थगित कर (₹ 3.07 करोड़) की मान्यता से लाभ कम हुआ;

(ii) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) - संदिग्ध ऋणों (₹ 14.13 करोड़) पर प्रावधानों को वापस लिखने से लाभ में वृद्धि हुई, जबकि रोजगार के बाद के लाभों के लिए देयताओं के लेखांकन के विभिन्न तरीकों को अपनाने और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के समय आस्थगित कर की मान्यता ने लाभ में क्रमशः ₹ 4.31 करोड़ और ₹ 0.96 करोड़ की कमी की।

(iii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) - रोजगार के बाद के लाभों के लिए देयताओं के लेखांकन के विभिन्न तरीकों को अपनाने के कारण लाभ में ₹ 4.21 करोड़ की कमी आई।

6.6.2 राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक-18 के अंतर्गत 'राजस्व' की परिभाषा में निवल मूल्य प्रतिभागियों से योगदान से संबंधित वृद्धि के अतिरिक्त वे सभी आर्थिक लाभ शामिल हैं जो एक इकाई की गतिविधियों के सामान्य क्रम में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य में वृद्धि होती है। आई.जी.ए.पी. के अनुसार राजस्व को हालांकि, माल की बिक्री से, सेवाओं के प्रतिपादन से, और उद्यम के अन्य लोगों द्वारा उपयोग से ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले संसाधन, उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्य या अन्य प्रतिफल के सकल प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है।

चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.2: राजस्व पर भारतीय लेखांकन मानक में प्रत्यावर्तन का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	राजस्व में निवल कमी (₹ करोड़ में)	निवल राजस्व में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	-	0.09
2	एच.पी.जी.सी.एल.	16.89	-
3	एच.वी.पी.एन.एल.	-	18.72

एच.वी.पी.एन.एल. के मामले में, आई.जी.ए.पी. के अनुसार, परिसंपत्तियों के लिए ग्राहकों से प्राप्त अंशदान को पूंजीगत संचय में जमा किया गया था जबकि भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसे आस्थगित राजस्व में जमा किया जाता है और संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुपात में राजस्व को हर साल मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप एच.वी.पी.एन.एल. की अन्य आय में ₹ 17.80 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को रियायती दर पर दिए गए ऋण पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य आय में ₹ 91.81 लाख की वृद्धि हुई।

6.6.3 कुल संपत्ति के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.), भारतीय लेखांकन मानक 38 - अमूर्त संपत्ति, भारतीय लेखांकन मानक 32 - वित्तीय दस्तावेज: प्रस्तुतीकरण, भारतीय लेखांकन मानक 109 - वित्तीय दस्तावेज और भारतीय लेखांकन मानक 40 - निवेश संपत्ति के अंतर्गत आई.जी.ए.पी. की तुलना में निर्धारित लेखांकन की पद्धतियों में अंतर के कारण भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन पर परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रभावित होता है।

1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली अवधि की तुलना के साथ अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.3: कुल संपत्ति के मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	कुल संपत्ति के मूल्य में निवल कमी (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति के मूल्य में निवल वृद्धि (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	-	2,054.02
2	एच.पी.जी.सी.एल.	-	203.32
3	एच.वी.पी.एन.एल.	5.73	-

एच.एस.आई.आई.डी.सी. में परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के लिए प्राप्त अनुदान को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में मान्यता देने के कारण हुई थी। एच.पी.जी.सी.एल. में, पी.पी.ई. की मान्यता के लिए नीति में बदलाव और रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट बैलेंस की मान्यता की नीति में बदलाव से कुल संपत्ति में क्रमशः ₹ 155.12 करोड़ और ₹ 148.07 करोड़ की वृद्धि हुई। एच.वी.पी.एन.एल. में, आस्थगित भुगतान शर्तों पर भूमि के मूल्य में परिवर्तन से इसकी कुल संपत्ति में ₹ 29.42 करोड़ की कमी आई।

6.6.4 निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव

निवल मूल्य किसी कंपनी की संपत्ति और देयताओं के मूल्य के बीच का अंतर है। निवल मूल्य की गणना प्रदत्त शेयर पूंजी के कुल मूल्य, संचित हानियों के कुल मूल्य से मुक्त संचय, आस्थगित व्यय और विविध व्यय को बढ़े खाते में डालने से कम करके की जाती है। चयनित एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 6.4: निवल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का एस.पी.एस.ई.-वार प्रभाव

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	निवल मूल्य में निवल कमी (₹ करोड़ में)
1	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	19.58
2	एच.पी.जी.सी.एल.	80.51
3	एच.वी.पी.एन.एल.	339.81

निवल मूल्य में वृद्धि/कमी के मुख्य कारण थे:

(i) वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख से पहले निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को देयता के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत, ऐसे लाभांश को मान्यता दी जाती है जब उन्हें शेयरधारकों द्वारा आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है। इस प्रकार, प्रस्तावित लाभांश के समायोजन के कारण एच.एस.आई.आई.डी.सी. की निवल संपत्ति में ₹ 5 करोड़ और प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पर कर के समायोजन के कारण ₹ 1.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

(ii) एच.वी.पी.एन.एल. के मामले में आस्थगित राजस्व की मान्यता के कारण निवल संपत्ति में कमी हुई क्योंकि आई.जी.ए.पी. के अंतर्गत परिसंपत्तियों के लिए ग्राहक से प्राप्त अंशदान को पूंजीगत संचय में जमा किया गया था। हालांकि, भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, इसे आस्थगित राजस्व में जमा किया गया था और हर साल परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुपात में मान्यता दी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की निवल संपत्ति में ₹ 340.74 करोड़ की कमी हो गई।

(iii) एच.पी.जी.सी.एल. के संबंध में निवल संपत्ति में ₹ 138.47 करोड़ और ₹ 0.33 करोड़ की कमी वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमशः मान्यता प्राप्त प्रावधानों और पूर्व अवधि समायोजन के प्रभाव के कारण थी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि ऐसे एस.पी.एस.ई. के कर-पश्चात लाभ के मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और निवल मूल्य चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने से प्रभावित हुए थे। भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत राजस्व की मान्यता की पद्धति में परिवर्तन ने एस.पी.एस.ई., जिन्होंने चरण I और II में भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया, द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व को भी प्रभावित किया। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए चयनित एस.पी.एस.ई. की वित्तीय विवरणियों में परिवर्तनों को प्रकट किया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय इन पर विचार किया जाना चाहिए।

चण्डीगढ़
दिनांक: 12 अक्टूबर 2021

विशाल बंसल

(विशाल बंसल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 28 अक्टूबर 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

